2006/00002

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्स जद	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.03.2020	न्यायालय हाजा में विचाराधिन प्रकरण संख्या 398/19 अनवान **मनोहरी वगैरा बनाम जगमालराम** वगैरा **अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट** में **प्रतिवादीनी सं. 4** के अधिवक्ता जमालदीन खां ने एक प्रार्थना पत्र **अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी.** के तहत पेश कर निवेदन किया कि वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्व ग्राम चैनपुराकलां पटवार क्षेत्र भोजासर के खसरा नम्बर 907 रकबा 1 बीघा व खसरा नम्बर 908 रकबा 89.04 बीघा कुल रकबा 90.04 बीघा बाबत् खातेदारी अधिकारों की घोषणा का दावा पेश किया कि उक्त वादग्रस्त सम्पूर्ण भूमि अपने पिता के खातेदारी की होना बताया तथा उनके फौत होने पर वादीगण के नाम से नामांतरकरण नहीं भरना होना बताते हुवे उक्त दावा पेश किया है तथा दावा में वादीगण ने यह स्वीकार किया है कि हमारे पिताजी फौत हुवे तब हमारा नाम दर्ज नहीं किया गया था एंव प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा खसरा नम्बर 907 रकबा 1 बीघा व खसरा नम्बर 908 रकबा 89.04 बीघा में से 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख खरीदना बताया है। प्रतिवादी संख्या 4 के नाम से जो भूमि राजस्व रेकर्ड में दर्ज है उसको प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा बेचान प्रतिफल के बदले खरीद की गई है तथा उस भूमि पर खरीद की तारीख से प्रतिवादी संख्या 4 का कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने जो भूमि बेचान की है वो भूमि प्रतिवादी संख्या 01 के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी जो विधिवत् प्रक्रिया अपनाने के बाद राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई। उक्त भूमि पूर्व में भींयाराम के नाम दर्ज थी भींयाराम फौत होने पर जरिये नामान्तरकरण संख्या 1134 के द्वारा भींयाराम के वारीसान 3 पुत्र व मु. चुन्नी के नाम दर्ज हुई भींयाराम के वारीसान के नाम नामान्तरकरण 06.06.1998 को भरा गया था। तथा मु.चन्नी के फौत होने पर म्युटेशन नं. 52 द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम से भरा गया तब से वादीगण याने बहने सहदायी नहीं थी । इसलिये इन्हे हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के तहत कोई हक हिस्सा नही मिल रहा था। बहनो का उक्त वाद में कोई हक हिस्सा नही होने से कानूनन कोई दावा पेश नही किया जा सकता, इसलिये वादीगण का वाद विधि विरुद्ध होने से खारीज किया जावें जिसकी कोपी प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा वादी अधिवक्ता को दिलाई गयी। वादीगण के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र का जवाब	

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रैक) फलोदी

सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक फलोदी जिला जोधपुर

Scanned by CamScanner

न देकर सीधी बहस करने का निवेदन किया जिस पर वादीगण अधिवक्ता की सीधी बहस सुनी अधिवक्ता वादीगण ने बताया कि प्रतिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र मिथ्या एंव गलत होने से अस्वीकार है एंव आगे निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पूर्व में भीयाराम के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी। भीयाराम के फौत होने पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का फौतेगी नामान्तरकरण अपने नाम से भरवाकर स्वीकृत करवा लिया, जबकी वादीगण जाईन्दा संन्तान होने से उनको भीयाराम के हक हिस्से कि भूमि में जन्म से ही खातेदारी अधिकार हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के तहत निहित हो जाता है। लेकिन प्रतिवाादी संख्या 1 ने वादीगण को उनके हिस्से कि भूमि से वंचित करने की नियत से उक्त भूमि का बेचान कर दिया है इसलिये प्रतिवादी संख्या 04 द्वारा पेश प्रार्थना पत्र खारीज किया जावें।

प्रतिवादी एंव वादी अधिवक्ता की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई प्रतिवादी अधिवक्ता ने बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए आगे यह बताया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 एक ही परिवार के सदस्य है उनके पिताजी भीयाराम जब फौत हुए तब फौतेतगी नामान्तरकरण की सभी को भली भांती जानकारी थी उस वक्त बहनो ने कोई आपति नही की। बाद में प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा अपने हिस्से की भूमि खरीदार प्रतिवादी संख्या 04 को प्रतिफल के बदले बेचान कर दी जिसकी भी बहनो को भलि भाति जानकारी थी चूकि वर्तमान में बेचानकर्ता के मन में बदनियति आने से अपनी बहनो को बुलाकर उनसे दुरभी संधि कर बेचानकर्ता प्रतिवादी संख्या 1 ता 03 द्वारा ही ये दावा पेश करवाया गया है जबकि खरीददार का इसमें कोई दोष नही है खरीददार ने सम्पूर्ण भूमि के पैसे देकर उक्त भूमि खरीदी है बहने यदि उक्त वादग्रस्त भूमि बाबत अपना क्लेम करना चाहती है तो अपने भाईयो के विरूद्व सिविल न्यायालय में दावा कर सकती है उक्त दावा दुरभीसंधि का होने से कोई वाद कारण पैदा नही हुआ है तथा वाद विधि द्वारा वर्जित है इसलिये वाद चलने लायक नही होने से खारीज फरमाया जावे। उक्त बहस का वादीगण के अधिवक्ता द्वारा खंडन करते हुवें अपनी बहस में बताया की वादग्रस्त भूमि वादीगण के एंव प्रतिवादी संख्या 1ता 3 के पुर्वज भीयाराम व माता चुन्नी के खातेदारी में थी भीयाराम व चुन्नी के फौत होने पर सभी वारीसान के नाम से बराबर दर्ज हो जानी थी लेकिन सिर्फ प्रतिवादी संख्या 1ता 3 के नाम ही दर्ज हुयी इसलिये प्रतिवादी संख्या 01 ने अपने हिस्से से

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रैक) फलोदी

Scanned by CamScanner

ज्यादा हमारे हिस्से कि भूमि का बेचान कर दिया है अब हमनें हमारी जमीन का दावा किया है ।

वादीगण एंव प्रतिवादीगण के अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई एंव प्रार्थना पत्र एंव पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन एंव बहस पर मनन से यह पाया गया कि वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 1ता 3 भीयाराम के वारिसान है जिसमें से प्रतिवादी संख्या 1ता 3 ने भीयाराम के फौतेतगी के बाद सम्पूर्ण भूमि अपने व अपनी माता चुन्नी के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवा ली एवं अपनी माता चुन्नी के फौत होने पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने अपने नाम से फौतेदगी नामानतकरण दर्ज करवा ली एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने हिस्से की सम्पूर्ण भूमि प्रतिवादी संख्या 4 को को बेचान के जरिये सद्भावी क्रेता को बेचान कर दी एवं उससे प्रतिफल की राशि भी प्राप्त कर मौके पर कब्जा काश्त खरीदार प्रतिवादी संख्या 04 को सुपुर्द कर दिया है जिसमें वादीगण द्वारा सन् 1998 से लेकर के इतने लम्बे अतंराल तक कोई दावा पेश नही किया है और ऐसा भी नही है की वादीगण को उक्त फौतेतगी नामान्तरकरण कि जानकारी नही रही हो । उक्त वादग्रस्त भूमि को प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा वैचान प्रतिवदी संख्या 04 को किया गया इसकी जानकारी वादीगण को भली भांति थी। जिससे यह साबित हो रहा है कि भाई एंव बहनो ने आपस में दुर्भीसन्धि कर जमीन को वापिस हड़पने के लिये यह दावा पेश किया है बहने चाहती तो अपने भाईयो के विरूद्व बेचान की गई भूमि की प्रतिफल की राशी बाबत सिविल न्यायालय में चाराजोई कर सकती थी लेकिन अपने भाईयो से मिलावट कर खरीदारो के विरूद्व यह गलत दावा पैश करना साबित हो रहा है जिस कारण वादीगण को कोई वादकारण पैदा नही होने से एंव दावा दुर्भीसन्धि का होने से वाद विधिद्वारा वर्जित है जो दावा चलने लायक नही हैं।

अतः प्रतिवादी संख्या 04 द्वारा प्रस्तुत प्रर्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी.को स्वीकार कर वादीगण द्वारा पेश वाद खारीज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 04–03–2020 को सरे इजलास मे सुनाया गया।

यशपाल अहूजा (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) फलौदी

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) फलौदी

सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक फलौदी जिला जोधपुर

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई
(आदेश 21 नियम 6,7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत श्री सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) फलौदी
बइजलास श्री यशपाल आहूजा (आर.ए.एस.)

वादी
1. मनोहरी पुत्री भीयाराम पत्नि श्री भरमलराम, जाति विश्नोई निवासी रणीसर, तहसील फलोदी
2. हीरा पुत्री भीयाराम पत्नि श्री सुरजनराम जाति विश्नोई, निवासी मतोड़ा तहसील ओसीया
3. गवरी पुत्री भीयाराम पत्नि श्री रामूराम जाति विश्नोई, निवासी पलीना, तहसील फलोदी

बनाम

प्रतिवादीगण
1. जगमालराम पुत्र श्री भीयाराम
2. भाखरराम पुत्र श्री भीयाराम
3. हरदासराम पुत्र श्री भीयाराम
4. श्रीमती सोमारी पत्नि श्री पूनमाराम

सभी जाति विश्नोई
सभी निवासी चैनपुराकला भोजासर
तहसील फलोदी
जिला जोधपुर राज.

<u>दावा अन्तर्गत धारा 88,188 राज. काश्तकारी अधिनियम</u>

वाद संख्या 398/2019

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे व हाजिर श्री रेवत सिंह पातावत अधिवक्ता मिनजानिब व श्री जमालदीन खां मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी के तहत खारीज किया जाता है। मुतालिक

बाबत

खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर फीस सदी सालाना आज की तारीख को अदा करें। वसूली पाने तक बसब्त मरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 04 माह 03 सन् 2020 को जारी की गई।

दस्तखत
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रैक) फलोदी

सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक फलौदी जोधपुर

मोहर मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनतनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मिजान	–	–	अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनतनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मिजान	–	–

नोटः– इस खर्चे के फॉर्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावें।

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Yashpal Ahuja
Date: 2020.03.17 14:06:07 IST
Reason: SelfAttested
Location: